

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 479]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 सितम्बर 2021 — भाद्रपद 12, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2021

क्रमांक 9178/जी. 97/21-अ/प्रारू./छ.ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 01-09-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 15 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (अधिग्रहण) अधिनियम, 2021

छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, जिला-दुर्ग को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिग्रहण करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- | | | |
|-------------------------------|-----|--|
| संक्षिप्त नाम
तथा प्रारंभ. | 1. | (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (अधिग्रहण) अधिनियम, 2021 कहलायेगा। |
| | (2) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। |
| परिभाषारं. | 2. | इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - |
| | | (क) "चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय" से अभिप्रेत है ग्राम कचांदुर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के तहत पंजीकृत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल, पंजीयन क्र. 1997 का 10-11769 द्वारा स्थापित चिकित्सा महाविद्यालय; |
| | | (ख) "सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार; |
| | | (ग) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना; |
| | | (घ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित; |

(ड) "विशेष अधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 7 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी।

3. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा किसी न्यायालय के निर्णय या डिक्री, अथवा किसी संविदा या अन्य दस्तावेज या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़ का प्रशासन, नियंत्रण एवं समस्त चल एवं अचल दोनों संपत्तियों का कब्जा, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के तहत पंजीकृत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल पंजीयन क्र. 1997 का 10-11769 द्वारा तत्काल सरकार को सौंप दिया जायेगा।
- चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ का नियंत्रण सरकार को सौंपा जाना।
4. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, किसी न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय या डिक्री, अथवा किसी संविदा या अन्य दस्तावेज में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, संलग्न अस्पताल और समस्त आस्तियों, स्वत्वों एवं हितों के साथ सरकार में निहित हो जायेगा और इसके संबंध में किसी भी व्यक्ति, जीवित अथवा न्यायिक, व्यक्ति, कंपनी, अंश धारक अथवा किसी अन्य संस्था का स्वत्व, कब्जा एवं हित समाप्त हो जायेगा।
- चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ का सरकार में निहित होना।
5. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व, धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित संस्थान के संबंध में,
- निहित होने का सामान्य प्रभाव।

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, किसी न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय या डिक्री, अथवा किसी संविदा या अन्य दस्तावेज में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वे, इस अधिनियम के प्रारंभ होते ही समाप्त माने जायेंगे।

- (2) इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर ऐसी किसी कंपनी, समिति, व्यक्ति जीवित या न्यायिक, अथवा किसी संस्था का प्रशासन और प्रबंधन समाप्त माना जायेगा, जो धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित होने के पूर्व इस संस्था का प्रशासन या प्रबंधन करती थी।

राशि का
भुगतान.

6.

चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, दुर्ग के संस्थाओं के धारा 4 के अंतर्गत सरकार को अन्तरित एवं उसमें निहित होने के प्रयोजन से, सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के तहत पंजीकृत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल, पंजीयन क्र. 1997 का 10-11769 को, धारा 8 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भुगतान योग्य राशि, प्रदाय करेगी।

राशि की गणना
हेतु विशेष
अधिकारी की
नियुक्ति.

7.

- (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रशासन, चिकित्सा एवं वित्त के संबंध में पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव रखने वाले व्यक्ति को, धारा 6 में विनिर्दिष्ट राशि निर्धारित करने के लिये, विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी।
- (2) विशेष अधिकारी की, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में, सहायता करने के लिये, सरकार, ऐसे अन्य अधिकारी प्रतिनियुक्त कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे।
- (3) विशेष अधिकारी एवं उप-धारा (2) के अधीन

प्रतिनियुक्त अन्य अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, ऐसे होंगे, जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये।

8. (1) धारा 7 की उप-धारा (2) के अंतर्गत नियुक्त विशेष अधिकारी, धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित चल एवं अचल संपत्ति का मूल्यांकन करेगा। भुगतान योग्य राशि.
- (2) अधिग्रहण की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये, भुगतान योग्य राशि, उप-धारा (1) के अधीन निर्धारित की गई वास्तविक मूल्यांकन राशि की दो गुनी तक होगी।
- (3) कोई अन्य धनराशि, धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित किसी संपत्ति के लिये, किसी भी जीवित अथवा विधिक व्यक्ति को देय नहीं होगी।
9. (1) चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ की समस्त संपत्तियां, सभी अधिभार से मुक्त होकर, सरकार में निहित होंगी, और निहित होने के पूर्व इसके स्वामियों पर, किसी भी जीवित अथवा विधिक व्यक्ति को किसी भी देयता के लिये, सरकार दायित्वधीन नहीं होगी। देयता के लिये सरकार द्वारा कोई भुगतान नहीं.
- (2) चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ की सरकार में निहित होने के पूर्व की देयताएं, उसके पूर्व स्वामियों की देयतायें बनी रहेगी और विधि की सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, ऋणदाताओं द्वारा उनकी वसूली इसके पूर्व स्वामियों से की जा सकेगी।
10. (1) धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियुक्त विशेष अधिकारी, धारा 8 में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन के विशेष अधिकारी द्वारा पालन की

जाने वाली
प्रक्रिया.

अवधारण के प्रयोजन से, किसी भी व्यक्ति अथवा दस्तावेज को सम्मन भेज सकेगा और विशेष अधिकारी, ऐसी अपेक्षा करता है, तो ऐसा व्यक्ति, विशेष अधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना एवं उसके कब्जे के दस्तावेज अथवा सहायता करने के लिये बाध्य होगा।

- (2) यदि विशेष अधिकारी के द्वारा उसके कार्य के निष्पादन में कोई बाधा कारित किया जाता है, तो वह, संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट से सहायता मांग सकेगा और वह (संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट) ऐसी सहायता देने के लिये बाध्य होगा।
- (3) विशेष अधिकारी, धारा 8 में निर्दिष्ट मूल्यांकन की रिपोर्ट, सरकार को, उसकी नियुक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यदि परिस्थितिवश आवश्यक हो तो सरकार, अधिसूचना द्वारा, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कालावधि, जो एक वर्ष से अधिक न हो, के लिये और बढ़ा सकेगी।

राशि के भुगतान
की रीति.

- (1) सरकार, धारा 8 में निर्दिष्ट राशि, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल पंजीयन क्र. 1997 का 10-11769, जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ के, धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित होने के पूर्व उसके स्वामी थे, के बैंक खाते में भुगतान करेगी।
- (2) धारा 8 में निर्दिष्ट राशि का पूर्ण एवं अंतिम भुगतान, धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त विशेष

अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के 6 माह के भीतर, सरकार द्वारा कर दिया जायेगा।

12. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित होने के पूर्व, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ नियोजन में था, चाहे वह नियमित सेवा, संविदा सेवा में रहा हो या आउटसोर्स द्वारा हो, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ या सरकार की सेवा में रहने का कोई दावा नहीं करेगा।
- (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के वेतन अथवा अन्य देय राशि के भुगतान के लिये, सरकार की कोई देयता नहीं होगी।
- (3) यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के पूर्व स्वामियों द्वारा, धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित होने के पूर्व की गई सेवा के संबंध में देय राशि, अदत्त रहती है, तो उन्हें, धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित होने के पूर्व के, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के पूर्व स्वामियों से उक्त राशि वसूली का अधिकार होगा।

चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारियों का शासकीय सेवा पर किसी दावे का न होना.

13. इस अधिनियम के अनुसार सद्भावनापूर्वक की गई या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिये शासन अथवा धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियुक्त विशेष अधिकारी अथवा कोई अन्य अधिकारी या व्यक्ति, जो विशेष अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार कार्य किया हो, के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या दाण्डिक कार्यवाही अथवा अन्य विधिक

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण.

- कार्यवाही नहीं होगी।
- अधिनियम का अधिभावी प्रभाव. 14. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम एवं इसके प्रावधानों के अंतर्गत बनाये गये किसी नियम, जारी आदेश या अधिसूचना का अधिभावी प्रभाव होगा।
- नियम बनाने की शक्ति. 15. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये, सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।
- (2) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम, विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।
- कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति. 16. यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, ऐसे कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन से, राजपत्र में प्रकाशित करके, ऐसा आदेश कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो:
- परंतु, ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष के अवसान पश्चात् नहीं किया जायेगा।

अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2021

क्रमांक 9178/डी. 97/21-अ/प्रारू./छ.ग./21. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-09-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 15 of 2021)

CHHATTISGARH CHANDULAL CHANDRAKAR MEMORIAL MEDICAL COLLEGE,
DURG (ACQUISITION) ACT, 2021

An Act to make provision for acquisition of Chandulal Chandrakar Memorial Medical College, Kachandur, District-Durg, by the Government of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Second Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the **Short title and commencement.**
Chhattisgarh Chandulal Chandrakar Memorial Medical College, Durg (Acquisition) Act, 2021..

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,- **Definitions.**

(a)“**Chandulal Chandrakar Memorial Medical College**” means, Medical College established in village Kachandur, District-Durg, Chhattisgarh by Chandulal Chandrakar Memorial Hospital, registered under Companies Act, 1956 (No.1 of 1956), Reg. No. 10-11769 of 1997;

(b) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

(c) "**Notification**" means a notification published in the Official Gazette;

(d) "**Prescribed**" means prescribed by rules made under this Act;

(e) "**Special Officer**" means the officer appointed under subsection (1) of Section 7.

Handing over control of Chandulal Chandrakar Memorial Medical College, Kachandur, District-Durg, Chhattisgarh to Government.

3.

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any judgment or decree of any Court or in any contract or other document or order, Chandulal Chandrakar Memorial Hospital, registered under Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956), Reg. No. 10-11769 of 1997 shall handover the administration, control and possession of all properties both movable and immovable of Chandulal Chandrakar Memorial Medical College, Kachandur, District-Durg, Chhattisgarh to the Government immediately on the commencement of this Act.

4. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any order or judgment or decree of any Court or in any contract or other document, on and from the date of commencement of this Act, Chandulal Chandrakar Memorial Medical College Kachandur, Durg, Chhattisgarh together with its associated Hospital and all its assets, rights and interests, shall vest in Government and any right, possession and interest of any person living or juristic, individuals, companies, shareholders or any other organization in respect of it shall be ceased.

**Chandulal
Chandrakar
Memorial
Medical College
Kachandur,
District-Durg,
Chhattisgarh to
vest in
Government.**

5. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any order or judgment or decree of any Court or in any contract or other document, relating to the establishment vested in the Government under Section 4, immediately before the commencement of this Act, the same shall be deemed to have been terminated on such commencement.

**General effect of
vesting.**

- (2) On commencement of this Act, the administration and management by any Company, Society, person living or juristic or any organization who had managed and administered these establishment vested before in the Government under Section 4 shall be deemed to ceased.

Payment of Amount.

6.

For the purpose of transfer and vesting of the establishments of Chandulal Chandrakar Memorial Medical College, Kachandur, Durg, in the Government under section 4, the Government shall pay to Chandulal Chandrakar Memorial Hospital, registered under Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956), Reg. No. 10-11769 of 1997, the amount payable under sub-section (2) of Section 8.

Appointment of Special Officer for determining the amount.

- 7. (1)** The Government shall appoint by notification, a person having adequate knowledge and experience in matters of administration, medical and finance, as Special Officer for the purpose of fixing the amount specified in Section 6.

- (2) For assisting the Special Officer in exercising the powers conferred on him under this Act the Government may depute such other officers as it may think fit.
- (3) The salaries and allowances of the Special Officer and other officers deputed under sub-section (2) shall be as fixed by the Government.
8. (1) The Special Officer appointed under sub-section (1) of Section 7 shall do valuation of the moveable and immovable property which has vested in Government under Section 4,
- (2) In view of the compulsory nature of taking over, the amount payable shall be paid up to two times the amount of actual valuation determined under sub-section (1),
- (3) No other money shall be payable to any person living or juristic for vesting of any properties in the Government under Section 4.
9. (1) The properties of Chandulal Chandrakar Memorial Medical College, Kachandur, Durg, **No payment by Government for liabilities.**

Chhattisgarh shall vest in the Government free from all encumbrances and Government shall not be liable to pay any person living or juristic anything for any liabilities of its owners before the vesting,

- (2) The liabilities of Chandulal Chandrakar Memorial Medical College, Kachandur, Durg, Chhattisgarh shall remain the liabilities of its owners before the vesting in the Government and can be recovered by their creditors from them by following normal process of law.

Procedure to be followed by the Special Officer.

10. (1) The Special Officer appointed under sub-section (1) of Section 7 may summon any person or document for the purpose of determining the determining valuation specified in section 8 and if the Special Officer so requires, such person shall be bound to give information and the documents in his possession or assistance required by the Special Officer.

(2) If any hindrance is caused to the Special Officer in performing his functions, he may seek the assistance of the Executive Magistrate concerned and he shall be bound to provide such assistance.

(3) The Special Officer shall submit a report to the Government, determining the valuation specified in Section 8 within 6 months from the date of his appointment:

Provided that if the circumstance so warrants, Government may, by notification, extend the period of submission of report for a further period not exceeding one year.

11. (1) The Government shall pay the amount specified in Section 8 in the Bank Account of Chandulal Chandrakar Memorial Hospital, registered under Companies Act, 1956, Reg. No. 10-11769 of 1997, who owned Chandulal Chandrakar Memorial Medical College, Kachandur, District-Durg, Chhattisgarh, before its vesting in the Government under Section 4.

**Manner of
Payment of
Amount.**

(2) Full and final payment of the amount specified in Section 8 shall be made by the Government within 6 months of the report being submitted by the Special Officer appointed under sub-section (1) of Section 7.

Employees of Chandulal Chandrakar Memorial Medical College to have no claim on Government Service.

12. (1) Person, who was in employment of Chandulal Chandrakar Memorial Medical College, Kachandur Durg, Chhattisgarh or any of its associated hospitals or establishment, whether as a permanent employee, on contract or outsourced, before their vesting in the Government under Section 4, shall have no any claim for service in Chandulal Chandrakar Memorial Medical College, Kachandur Durg, Chhattisgarh or under the Government.

(2) There shall be no liability of the Government for payment of any salary or any other dues of any person specified in sub-section (1).

(3) Persons specified in sub-section (1) who remain unpaid by the owners of Chandulal Chandrakar Memorial Medical College, for services

rendered before its vesting in Government under Section 4 shall have a right to recovery of amount from the owners of Chandulal Chandrakar Memorial Medical College who are owners before its vesting in Government under Section 4.

- 13.** No suit, prosecution, penal actions or other legal proceedings shall lie against the Government or the Special Officer appointed under subsection (1) of section 7 or any other officers or persons who act in accordance with the directions of the Special Officer, for anything which is done in good faith or intended to be done as per this Act.

**Protection of
action taken in
good faith.**

- 14.** The provisions of this Act or any rule, order or notification made thereunder shall have overriding effect, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force,

**Overriding
effect of Act.**

- 15. (1)** The Government may, by notification in the Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

**Power to make
rules.**

- (2)** Every rule made under this Act shall be laid on the table of the Vidhan Sabha.

**Power to
remove
difficulties.**

16. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, make an order to be published in the official gazette, not inconsistent with the provisions of this Act which for the purpose of removing such difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.